UPMB010015132024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।

सत्र परीक्षण संख्या–415/2024

सरकार बनाम श्रीमती आशा

धारा 498ए,304बी,506 भा0दं0सं0 व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक धारा 302/34 भा0 दं0 सं0

मु0अ0सं0–13/2024

थाना कुलपहाड़ जिला महोबा।

आरोप

मैं सर्वोत्तमा नगेश शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा, आप अभियुक्त **श्रीमती आशा** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूॅः–

प्रथमः– यह कि आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर शादी दिनांक 25.06.2020 के बाद से ही वादी मुकदमा की पुत्री श्रीमती अनुसूइया से अतिरिक्त दहेज में रूप में पचास हजार रूपये व मोटरसाईकिल की मांग की, मॉग पूरी न होने पर आपने वादी मुकदमा की पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहित की धारा 498ए के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय–यह कि दिनांक 25.12.2023 को समय करीब 8:00 बजे रात्रि स्थान वादी मुकदमा की पुत्री का ससुराल का मकान ग्राम लाड़पुर जिला महोबा में आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री श्रीमती अनुसूइया को दहेज में पचास हजार रूपये व मोटरसाईकिल की मांग करते हुये उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते हुये उसे खाने में जहरीला पदार्थ खिला दिया। वादी मुकदमा की पुत्री की असमान्य परिस्थितियों में विवाह के सात वर्ष के अन्दर–अन्दर मृत्यु हुई। इस प्रकार आपने दहेज हत्या कारित की है और ऐसा करके आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहित की धारा 304बी के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय–यह कि दिनांक 25.12.2023 को समय करीब 8:00 बजे रात्रि स्थान वादी मुकदमा की पुत्री का ससुराल का मकान ग्राम लाड़पुर जिला महोबा में आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री श्रीमती अनुसूइया को दहेज में पचास हजार रूपये व मोटरसाईकिल की मांग करते हुये उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते हुये जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहित की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ–यह कि आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री श्रीमती अनुसूइया से शादी के उपरान्त से अतिरिक्त दहेज के रूप में पचास

हजार रूपये व मोटरसाईकिल की मांग की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया जो कि धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

वैकल्पिक आरोप

यह कि दिनांक 25.12.2023 को समय करीब 8:00 बजे रात्रि स्थान वादी मुकदमा की पुत्री का ससुराल का मकान ग्राम लाड़पुर जिला महोबा में आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री श्रीमती अनुसूइया को दहेज में पचास हजार रूपये व मोटरसाईकिल की मांग करते हुये उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते हुये उसे खाने में जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की। इस प्रकार आपने हत्या कारित की है और ऐसा करके आप लोगों ने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहित की धारा 302/34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आप अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 02.09.2024

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

आरोप अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। उक्त आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांकः 02.09.2024

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

UPMB010015132024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।

सत्र परीक्षण संख्या–415/2024
सरकार बनाम श्रीमती आशा
धारा 498ए,304बी,506 भा0दं0सं0 व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक धारा 302/34 भा0 दं0 सं0
मु0अ0सं0–13/2024
थाना कुलपहाड़ जिला महोबा।

आदेश

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्ता श्रीमती आशा व्यक्तिगत रूप से मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आयी।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत मेरी राय में यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त श्रीमती आशा के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 498ए,304बी,506 व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक धारा 302/34 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 18.09.2024 को पेश हो।

दिनांकः 02.09.2024

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

Digitally signed by Sarvottama Nagesh Sharma
Date: 2024.09.02 15:56:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court